

















#### **IMPORTANT ACTS**

## प्रमुख अधिनियम

#### SIMON COMMISSION (1927) / साइमन कमीशन ( 1927 )

It was constituted in 1927 to inquire the working of the Act of 1919 under the chairmanship of John Simon. It placed its report in 1930, which was examined by the British Parliament. / इसका गठन 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए किया गया था। इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी ब्रिटिश संसद ने जांच की।

#### GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1935 / भारत सरकार अधिनियम, 1935

#### Deep Impact on our Constitution / संविधान के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव

- Dyarchy was abolished in the provinces, but it was introduced at the federal level. / प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसे संघीय स्तर पर लागु किया गया था।
- The division of subjects was made into three lists: Federal, Provincial and Concurrent. / विषयों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया था: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती।
- It provided for the establishment of an All India Federation consisting of provinces and Princely States as unit, but the federation did not come into effect because the Indian Princely States had not joined the federation. / इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, लेकिन भारतीय रियासतों के संघ में शामिल नहीं होने के कारण यह संघ प्रभाव में नहीं आया।
- It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. / इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की।
- The Federal Legislature had two chambers: The Council of State and Federal Assembly. The council of state was to be a permanent body with one-third of its members, retiring every 2 years. / संघीय विधानमंडल के दो कक्ष थे: राज्य परिषद और संघीय विधानसभा। राज्य की परिषद को एक स्थायी निकाय होना था जिसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो रहे थे।
- The Governor was given powers to use their discretion in certain matters. The act provided for a federal court. / राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्तियाँ दी गई थीं। अधिनियम एक संघीय अदालत के लिए प्रदान किया गया।
- It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. / इसने देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया।
- It provided for the establishment of a Federal Public Service Commission and Joint Public Service Commission for two or more provinces. / इसने दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

#### CRIPPS MISSION, 1942 / क्रिप्स मिशन, 1942

- Dominion status was proposed. / डोमिनियन स्टेटस प्रस्तावित किया गया था।
- Constitution of India to be made by an assembly, whose members were to be elected by provincial assemblies and nominated by princely states. / भारत का संविधान एक विधानसभा द्वारा बनाया जाएगा, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और रियासतों द्वारा नामित किए जाएंगे।
- Any provincial state not prepared to accept the Constitution could negotiate separately with Britain. / कोई भी प्रांतीय राज्य जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन के साथ अलग से बातचीत कर सकता है।













#### CABINET MISSION PLAN, 1946 / कैबिनेट मिशन योजना, 1946

- According to this plan, there was to be a Union of India, consisting both British India and the Indian states, with control over foreign affairs, defence and communication. / इस योजना के अनुसार, विदेशी मामलों, रक्षा और संचार पर नियंत्रण के साथ, ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों दोनों को मिलाकर भारत का एक संघ होना था।
- Provinces were given the powers to legislate all subjects except foreign affairs, defence and communication. / विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को छोडकर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रांतों को दी गई।
- India was to be divided into three groups of provinces: Group A, Group B and Group C. / भारत को प्रांतों के तीन समूहों में विभाजित किया जाना था: ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी।
- The plan provided that the Union Constitution was to be framed by a Constituent Assembly, the members of which were to be elected on a **communal basis** by the **Provincial Legislative Assemblies** and the representatives of the states joining the union. / योजना में यह प्रावधान था कि संघ संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना था, जिसके सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुना जाना था और संघ में शामिल होने वाले राज्यों के प्रतिनिधि।

#### MOUNTBATTEN PLAN, 1947 / माउंटबेटन योजना, 1947

Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan, known as the Mountbatten Plan. The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act, 1947. / भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लींग ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को लागू करके योजना को तत्काल प्रभाव प्रदान किया गया।

#### THE INDIAN INDEPENDENCE ACT, 1947 / भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- It ended the British Rule in India and declared India as an independent and sovereign state from 15th August, 1947. / इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
- The office of the Secretary of State was abolished. The crown no longer remained the source of authority. / राज्य सिचव का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था। ताज अब अधिकार का स्रोत नहीं रहा।
- The act provided for the creation of two Constituent Assemblies for India and Pakistan. / अधिनियम भारत और पाकिस्तान के लिए दो संविधान सभाओं के निर्माण के लिए प्रदान किया गया।
- From 15th August, 1947, India ceased to be a dependency of the British Crown over the Indian states. The Governor General and Provincial Governors acted as constitutional heads. / 15 अगस्त, 1947 से, भारत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की निर्भरता नहीं रहा। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते थे।
- The Central Legislature of India comprising of the Legislative Assembly and the Council of States, ceased to exist on 14th August, 1947 and the Constituent Assembly was to function also as the Central Legislature with complete sovereignty. / विधान सभा और राज्यों की परिषद से युक्त भारत के केंद्रीय विधानमंडल का अस्तित्व 14 अगस्त, 1947 को समाप्त हो गया और संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता के साथ केंद्रीय विधानमंडल के रूप में भी कार्य करना था।

#### MAKING OF THE CONSTITUTION OF INDIA / भारत के संविधान का निर्माण

- The Constituent Assembly was formed in 1946, under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan. / संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था।
- The total strength of the assembly was 389, out of these 296 were elected to represent the British India and 93 seats to the princely states. Out of 296 members, 292 members were to be elected by the provincial Legislatures while 4 members were to represent the four Chief Commissioner's provinces of Delhi, Ajmer-Merwara, coorg and British Baluchistan. 93 seats reserved for 1 princely states remained unfilled as they stayed away from the Constituent Assembly. / विधानसभा की कुल संख्या 389 थी, इनमें से 296 ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे और 93 सीटें रियासतों के लिए थीं। 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाना था जबिक 4 सदस्यों को दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चार मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व करना था। 1 रियासतों के लिए आरक्षित 93 सीटें अधूरी रह गई क्योंकि वे संविधान सभा से दूर रहे।













- The Constituent Assembly, held its first meeting on 9th December, 1946 and reassembled on 14th August, 1947, as the sovereign Constituent Assembly for the dominion of India. / संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित की और 14 अगस्त, 1947 को भारत के प्रभत्व के लिए संप्रभ संविधान सभा के रूप में पन: समवेत हुई।
- It took 2 years, 11 months and 18 days to finalise the Constitution. / संविधान को आंतिम रूप देने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- Objective resolution was moved in the first session of the Constituent Assembly (on 13th December, 1946) by Pandit Jawaharlal Nehru which was adopted after considerable deliberation and debate in the assembly on 22nd January, 1947. / पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के पहले सत्र (13 दिसंबर, 1946 को) में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी. 1947 को विधानसभा में काफी विचार-विमर्श और बहस के बाद अपनाया गया था।
- Dr Sachidanand Sinha was the first President of the Constituent Assembly, when it met on 9th December, 1946, while later Dr Rajendra Prasad and HC Mukherjee were elected the President and Vice-President of the assembly respectively. / 9 दिसंबर, 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, तब डॉ सिच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे, जबिक बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी क्रमश: विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए।
- Sir BN Rau was appointed as the constitutional advisor of the Assembly. / सर बीएन राऊ को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- On 26th November, 1949, the Constitution was declared as passed. The provisions relating to citizenship, elections and provisional Parliament etc. were implemented with immediate effect, that is from the 26th November, 1949. The rest of the provisions came into force on 26th January, 1950. / 26 नवंबर, 1949 को संविधान पारित घोषित किया गया। नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद आदि से संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से यानी 26 नवंबर, 1949 से लागु कर दिया गया। शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागु हुए।







# Online | Offline

Classroom Program

DSSSB | KVS | NVS | CTET | UGC-NET | SUPER TET BPSC | RPSC | HSSC | HTET | MPTET | OTHER TEACHING EXAMS

**Offline Education Preparation** 

GTB NAGAR-DELHI

UTTAM NAGAR-DELHI

NIRMAN VIHAR-DELHI

### **Online Education Preparation**







